बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (बांका) 02–54/2025–......................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–............................

समाहर्त्ता, बांका के पत्रांक–2539/रा०, दिनांक–30.05.2025 द्वारा **श्रीमती प्रियंका कुमारी, अंचल अधिकारी, बांका सदर, बांका** के विरुद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया जिसमें बिना पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, बायोमैट्रिक में उपस्थिति दर्ज नहीं करने, अचंल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों के बीच पंचायतों का आवंटन/स्थानांतरण अल्पअवधि में बार बार करने, लोक शिकायत निवारण अंतर्गत भ्रामक प्रतिवेदन देने एवं जमाबंदी का अवैध रूप से सृजन करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1757(15), दिनांक–22.09.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती कुमारी अंचल कार्यालय, बांका के पत्रांक–1664 दिनांक–07.10.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों एवं श्रीमती कुमारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन/समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार **श्रीमती प्रियंका कुमारी, अंचल अधिकारी, बांका सदर, बांका** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** (आदेश निर्गत की तिथि से) अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (बांका) 02–54/2025–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–................................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, बांका/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बांका/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्रीमती प्रियंका कुमारी, अंचल अधिकारी, बांका सदर, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (बांका) 02–54/2025–720 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–02/06/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती प्रियंका कुमारी** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026 jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Priyanka kumari(CO_banka)_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc